फर्द अहकाम
(नियम 15)

अज अदालत –उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

मुद्दईयान:–
...बिरधाराम... पुत्र ...लालाजी... बनाम
जाति ...जाटनी... सा0 ...खारिया सोजत...

मदयुनान:–
...पेमाराम... पुत्र ...जुगाजी...
जाति ...जाटनी... सा0 ...खारिया सोजत...

किस्म मुकदमा:– राजस्व ईजराय

नंबर ...03... / सन 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नकल व तामील अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुआ।
23-03-2018	वकील मुद्दईयान उपस्थित। वकील मुद्दईयान ने राजस्व ईजराय विरुद्ध मदयुनान पेश की है। राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। मदयुनान को जरिए नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक ...24-04-18... को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी, सोजत (जिला –पाली)	
24/04/18	राज्य सरकार/जिला कलक्टर पाली के आदेशानुसार आयोजित न्याय आपके द्वार-2018 के तहत पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत...खारिया सोजत... के अटल सेवा केन्द्र पर दिनांक...22-05-2018... को पेश हो। तदनुसार सम्मन/नोटिस जारी हो। उपखण्ड अधिकारी, सोजत	
22-05-18	राज्य सरकार द्वारा न्याय आपके द्वार, 2018 अभियान में आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में खारिया सोजत में पत्रावली आज पेश हुई मुद्दईगण। पेमाराम पुत्र जाता एवं उपस्थित मुद्दईगण एवं पेमाराम की पत्नी ई. आफिसकता मुद्दईगण उपस्थित है। मुद्दईगण पेमाराम ने प्रार्थना पत्र पेश किया है कि मौजा-खारिया सोजत की ग्राम खेड़ी में हदबस्त 636 रकबा 0.2300 है0 की खाली पड़ी भूमि में पक्का मकान बनाकर रह रहे हैं। प्रतिवादीगण सरकार निवासी मेड़ता की आपत्ति नहीं करते हैं। तथा आज से आवेदन से दावा गया है। उक्त सम्बन्ध में निवेदन किया कि इनकी स्वामित्व उप खण्ड अधिकारी सोजत (जिला-पाली) राज	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	उक्त खसरा के पड़ोस में स्थित भूमि में मकान बनाया है। मिश्रीराम व अन्य की भूमि में मकान नहीं बना सीमा विवाद है, तो वादी मिश्रीराम वादित भूमि का नाप चौपट करवा सकता है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है यदि नाप के पश्चात मिश्रीराम की भूमि में अतिक्रमण पाया गया तो वे स्वयं हटाने हेतु प्रावधित रहेंगे। प्रस्तुत प्रा० पत्र दिनांक 22-05-2018 को माननीय निगरानी किया गया। उपस्थित अधिवक्ता (प्रतिवादी सं० 1 व 2 पालिका) कोर्ट से स्वयं उपस्थित है का सुना गया। प्रस्तुत प्रा०पत्र अग्र उक्त आदेशिका की छायाप्रति तहसीलदार, सोजत को एवं इस प्रा०पत्र दि० 22-05-18 की प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजकर आदेशित किया जाता है कि वह विवादित भूमि ख०नं० 636 उक्त मौजा खवासपुरा सोजा रकबा 0.2300 हे०आर एवं प्रतिवादी की पड़ोस में स्थित भूमि का निशानुसार प्रा०पत्र के अनुसार वांछित फीस राशि जमा करवाकर नियमानुसार कार्यवाही। तहरीर जारी हो। चूंकि वाद उक्त ईजराय पत्रावली में चूंकि मालिक आदि स्वयं पाबन्द हो चुका है तथा अन्य कोई कार्यवाही आपेक्षित नहीं होने से दीवानी ईजराय पत्रावली प्रसेस अनुसार होकर अब्बाद से अमल हो बाद तामील जाबता पत्रावली दाखिल दफ्तर होकर अण्डर जमा हो। Sd/- Sojat.